

कार्यालय-वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक- २४४ /३३-१, दिनांक गोण्डा, जुलाई १० /२०२१

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

जनपद गोण्डा में फरेन्दा-जरवल मार्ग एस०एच०-१ए (नव घोषित एन०एच०-३०) के कि०मी० २१८.४०० से २१७.६०० के मध्य बायीं पटरी पर गाटा सं०-१२६१ व १२६२ ग्राम सकरौरा नगर तह० करनैलगंज जिला गोण्डा में प्रस्तावित आई०ओ०सी०एल० रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०१७२४८ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/143095/2021)

संदर्भ:-

प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा का पत्रांक-८५/३३-१, दिनांक ०६.०७.२०२१

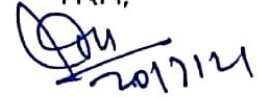
महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के पत्रांक-८५/३३-१, दिनांक ०६.०७.२०२१ द्वारा अवगत कराया कि जनपद गोण्डा में फरेन्दा-जरवल मार्ग एस०एच०-१ए (नव घोषित एन०एच०-३०) के कि०मी० २१८.४०० से २१७.६०० के मध्य बायीं पटरी पर गाटा सं०-१२६१ व १२६२ ग्राम सकरौरा नगर तह० करनैलगंज जिला गोण्डा में प्रस्तावित आई०ओ०सी०एल० रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०१७२४८ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/143095/2021, ०४ प्रतियों में भेजा गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भाग-३ में टिप्पणी अंकित कर प्रस्ताव आनलाइन कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव ०३ प्रतियाँ सी०डी० सहित मूल में संलग्न कर आपकी सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-प्रस्ताव ०३ प्रतियाँ सी०डी० सहित मूल में।

भवदीय,



(डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक- २४४ /अ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा उनके पत्रांक-८५/३३-१, दिनांक ०६.०७.२०२१ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

०/०



(डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

भाग-iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका

नहीं

संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,

निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना

सहमत

और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन

संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अन्यथा में कार्यवाही नहीं
है अथवा संस्तुति की जाती
है।

दिनांक-

स्थान-.....

हस्ताक्षर

नाम- (डा० अनिरुद्ध पाण्डे)

वन संरक्षक

सरकारी मोहर

विशेषाधिकार वृत्त योग्य